

come from the concerned communities themselves. In the next place, so far as the Muslim citizens are concerned, most of them consider any interference with their marriage law, which is a part of the Shariat, as an interference with Islam. And lastly, the Special Marriage Act, 1954 may be regarded as a common civil code relating to marriage. Although this is only an enabling statute, not only the citizens of India irrespective of their faith and religion but even other persons can solemnise their marriages in accordance with and under the provisions of that Act.

#### Delhi Milk Scheme

\*29. Shri C. C. Desai: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state

(a) whether there has been any improvement in the milk supply position of the Delhi Milk Scheme.

(b) if so, the details thereof, and

(c) how far it has succeeded in meeting the requirements of the people?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing month-wise figures of procurement ever since the Delhi Milk Scheme started is placed on the Table of the House. Placed in Library See No LT-37/67]

(c) 4.25 lakh bottles of milk are daily sold

चम्पू तथा काश्मीर में नामांकन पत्रों का रद्द किया जाना

\*30 श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

श्री तुलन चम्पू काश्मीर :

क्या बिचि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर में हाल के आम नामांकन पत्रों के अवर-काननी रूप

से रद्द किये जाने तथा जाली मतपत्रों धारि के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त राज्य में चुनावों में किसी दल विशेष का कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया गया था ;

(ग) यदि हा, तो क्या इस सम्बन्ध में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस राज्य में नये चुनाव कराने अथवा राष्ट्रपति का शासन लागू करने के बारे में सरकार को कोई सुझाव मिले हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

बिचि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) निर्वाचन आयोग का अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है जिन्में नामांकन पत्रों के अर्बुद प्रतिक्रिया, प्रतिरूप मन-पत्रों के मद्रण और वितरण, पदधारियों द्वारा कनिषय अभ्याशियों के पक्ष में अमप्रकृ इन्तक्षेप आदि सम्बन्धी अभिवचन है

(ख) सरकार का कोई जानकारी नहीं है ;

(ग) निर्वाचन आयोग को इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं , और

(घ) सरकार उन निर्वाचन अजियों पर विनिश्चयो की प्रतीक्षा कर रही है जा कि फाइल कर दी गई है या एन्तपञ्चान फाइल की जाए ।

#### Inter-State Transport Commission

\*31 Shri N. C. Chatterjee:  
Shri S. C. Samanta:  
Shri P. K. Ghosh:

Will the Minister of Transport and Shipping be pleased to state.

(a) the difficulties experienced by the Inter-State Transport Commission in its functioning;

(b) the suggestions made by the Road Transport Taxation Enquiry